प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पंचम उर्फ पंचम पासी पुत्र श्री बहरे उर्फ अमृतलाल, निवासी जनपद-श्रावस्ती की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पंचम उर्फ पंचम पासी पुत्र श्री बहरे उर्फ अमृतलाल, चका, दा0 भदौली चक, थाना-गिलौला, जनपद- श्रावस्ती का निवासी है। वादी जमाल अहमद के पिता इदरीश चूडी बेचने एवं पहनाने का काम करते थे। दिनांक-19.01.2007 को चूडी पहनाने के बाद पैसे मांगने पर हुए विवाद के कारण बंदी ने फावडे से इदरीश अली पर वार किया, जिससे घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, श्रावस्ती के आदेश दिनांक 13.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 15 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी जमाल अहमद के पिता इदरीश चूडी बेचने एवं पहनाने का काम करते थे। दिनांक-19.01.2007 को चूडी पहनाने के बाद पैसे मांगने पर हुए विवाद के कारण बंदी द्वारा फावडे से मारकर इदरीश अली नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पंचम उर्फ पंचम पासी पुत्र श्री बहरे उर्फ अमृतलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पंचम उर्फ पंचम पासी (बन्दी संख्या-186/2019) पुत्र श्री बहरे उर्फ अमृतलाल, निवासी जनपद-श्रावस्ती को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1000/2025/2528(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1000/2025/2528/22-2-2023-17(894)/2023

दिनांक 06 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पंचम उर्फ पंचम पासी पुत्र श्री बहरे उर्फ अमृतलाल, चका, दा0 भदौली चक, थाना-गिलौला, जनपद- श्रावस्ती का निवासी है। वादी जमाल अहमद के पिता इदरीश चूडी बेचने एवं पहनाने का काम करते थे। दिनांक-19.01.2007 को चूडी पहनाने के बाद पैसे मांगने पर हुए विवाद के कारण बंदी ने फावडे से इदरीश अली पर वार किया, जिससे घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गयी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय, श्रावस्ती के आदेश दिनांक 13.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 21.06.2022 तक 15 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी जमाल अहमद के पिता इदरीश चूडी बेचने एवं पहनाने का काम करते थे। दिनांक-19.01.2007 को चूडी पहनाने के बाद पैसे मांगने पर हुए विवाद के कारण बंदी द्वारा फावडे से मारकर इदरीश अली नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पंचम उर्फ पंचम पासी पुत्र श्री बहरे उर्फ अमृतलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।